

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि विभाग)

संयुक्त जिला कृषि भवन,
(कृषि फार्म परिसर)
साहेबगंज, 816109

जिला कृषि कार्यालय,
साहेबगंज



E_mail-atmasahibganj@rediffmail.com

पत्रांक...1068...../

साहेबगंज, दिनांक...23/07/2024/

प्रेषक,

जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
NIC, साहेबगंज।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत जिला कृषि कार्यालय, साहेबगंज से संबंधित लोक कल्याणकारी योजनाओं की सूचना NIC, साहेबगंज के Website में जारी करने के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय पत्रांक 868/गो0, साहेबगंज, दिनांक 08.07.2024।

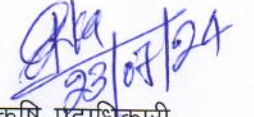
महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत जिला कृषि कार्यालय, साहेबगंज से संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सूचना NIC, साहेबगंज के Website में जारी करने हेतु प्रकाशन सामग्री हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि NIC, साहेबगंज के Website में सूचना जारी करने की कृपा की जाय।

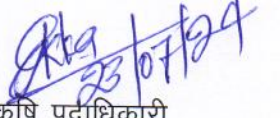
अनु0:-यथोक्त, 09 (नौ) पन्नों में।

विश्वासभाजन


23/07/24
जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज।

ज्ञापांक...1068...../साहेबगंज, दिनांक...23/07/2024/

प्रतिलिपि:-उपायुक्त महोदय, साहेबगंज की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।


23/07/24
जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज।

कार्यालय : जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज

अनुदानित बीज वितरण संबंधी आवश्यक सूचना

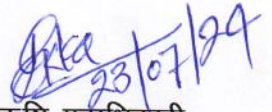
साहेबगंज जिला के किसान भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि "बीज विनिमय एवं वितरण योजना" अन्तर्गत खरीफ मौसम 2024 में 50% अनुदान पर प्रमाणित/संकर बीज का आवंटन निम्नवत प्राप्त हुआ है :-

क्र० सं०	फसल का नाम	प्रभेद	आपूर्तिकर्ता कम्पनी का नाम	आवंटित बीज की मात्रा (क्वी० में)	प्राप्त बीज की मात्रा (क्वी० में)	कृषक अंशदान (50 %) (रु०/क्वी०)
1	धान (प्रमाणित)	MTU-7029	NSC	4000	1589	2030
2	संकर मक्का	NMH-803	NSC	20	2	11400
3	रागी	VL (Marua-352)	NSC	100	30	3600
4	मूंगफली	Girinar-4	NSC	100	10	5700

साहेबगंज जिला के किसानों के बीच 50% अनुदान पर बीज प्राप्त करने हेतु अपने-अपने प्रखण्डों के लैम्पस/पैक्स/PG (आजीविका महिला उत्पादक समूह) / FPO से प्राप्त किया जा सकता है। अनुदानित दर पर बीज प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी लैम्पस/पैक्स/PG/FPO में जाकर खरीफ फसलों की बुआई हेतु गुणवत्तायुक्त बीज प्राप्त करें :-

1. जमीन का राजस्व रसीद/एल०पी०सी०।
2. आधार कार्ड (वैध पहचान पत्र - वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि)।
3. मोबाईल नम्बर OTP हेतु।

नोट :- किसानों को बीज प्राप्त करने हेतु ब्लॉकचेन प्रणाली में निबंधित होना आवश्यक है। जो किसान ब्लॉकचेन प्रणाली में पूर्व से निबंधित नहीं हैं वैसे किसान निबंधन हेतु उपरोक्त दस्तावेजों के साथ अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/जनसेवक/जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय, साहेबगंज से सम्पर्क कर सकते हैं।


जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज

कार्यालय : जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज

“बिरसा फसल विस्तार योजना”

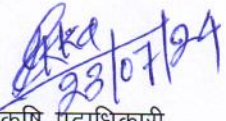
साहेबगंज जिला में “बिरसा फसल विस्तार योजना” अन्तर्गत खरीफ मौसम 2024 में शत प्रतिशत अनुदानित दर पर प्रमाणित/संकर बीज का आवंटन निम्नवत प्राप्त हुआ है :-

क्र० सं०	फसल का नाम	प्रभेद	कम्पनी का नाम	आवंटित बीज की मात्रा (क्वी० में)	अनुदान की राशि (100 %) (रु०/क्वी०)	प्राप्त बीज की मात्रा (क्वी० में)	अभ्युक्ति
1	उरद	Kota Urad - 4	HIL	60	14000	60	300 Ha
2	मक्का	DHM - 121	NCCF	140	16480	140	700 Ha
3	मूंगफली	Phule Morna (KDG - 123)	NSC	14	11400	14	18.66 Ha

योजना का क्रियान्वयन चयनित संकुलों में किया जाएगा एवं प्रति संकुल का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर होगा। किसानों के बीच बीज के साथ INM/IPM उपादानों का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। साहेबगंज जिला के किसानों के बीच शत प्रतिशत अनुदान पर बीज प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है -

1. जमीन का राजस्व रसीद/एल०पी०सी०।
2. आधार कार्ड (वैध पहचान पत्र - वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि)।
3. मोबाईल नम्बर OTP हेतु।

नोट :- किसानों को बीज प्राप्त करने हेतु ब्लॉकचेन प्रणाली में निबंधित होना आवश्यक है। जिन किसानों का ब्लॉकचेन प्रणाली में पूर्व से निबंधन नहीं है वैसे किसान निबंधन हेतु उपरोक्त दस्तावेजों के साथ अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/जनसेवक/जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय, साहेबगंज से सम्पर्क कर सकते हैं।


जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज

कार्यालय : जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज

झारखण्ड राज्य मिलेट मिशन योजना

“हर किसान मिलेट किसान”

प्रोत्साहन राशि ₹0 3000/- रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 15,000/- रुपये पाँच एकड़ तक के लिए

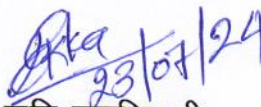
योजनान्तर्गत मोटे अनाज : महुवा/रागी, ज्वार, बाजरा, कंगनी, सावाँ, कोदो, चीना, कुटकी, कुटू एवं चौलाई।

योजना में शामिल होने की प्रक्रिया	योजना की पात्रता
मिशन वेब पोर्टल :- (www.jharkhandmilletmission.gov.in) पर निबंधन अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में करा सकते हैं	1. सभी रैयत एवं बटाईदार किसान। 2. किसान झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हों एवं न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। 3. किसान का अपना वैध आधार नंबर, मोबाईल नंबर एवं बैंक पासबुक होना चाहिए। 4. न्यूनतम 10 डिसमिल एवं अधिकतम पाँच एकड़ हेतु निबंधन। 5. पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2024 तक। 6. आवेदन हेतु प्रज्ञा केंद्र (CSC) द्वारा मात्र 40/- ₹0 सेवा शुल्क लिया जाएगा।
आवश्यक सूचनाएँ एवं दस्तावेज	
1. आधार नम्बर। 2. मोबाईल नम्बर। 3. आधार संबद्ध बैंक खाता विवरण। 4. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद। 5. वंशावली (मुखिया /ग्राम प्रधान/राजस्व कर्मचारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत)। 6. घोषणा पत्र (रैयत/ बटाईदार द्वारा)। 7. बटाईदार किसान का सहमति पत्र। 8. पंजीकृत किसानों के चयनित फसल एवं बुवाई के रकबा का पूर्ण विवरण।	

- मिलेट उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ मिलेट किसानों एवं मिलेट बीज बैंक को नकद पुरस्कार का प्रावधान है।
- मिलेट बीज बैंक की स्थापना के लिए SHG, FPO, Cooperative Societies, KVKs इत्यादि को समर्थन देना।
- बीज वितरण जैसी किसी भी योजना के तहत पहले से पंजीकृत किसानों के मामले में किसान पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें हर बार कृषि मौसम में मिशन के लिए आवेदन देना होगा।
- किसान एक मौसम में केवल एक बार आवेदन कर सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा फसलों को शामिल कर सकते हैं।

पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2024

अधिक जानकारी के लिए अपने प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO)/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (BTM)/सहायक तकनीकी प्रबंधक (ATM)/जनसेवक/जिला कृषि कार्यालय, साहेबगंज से सम्पर्क कर सकते हैं।


23/08/24
जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज।

कार्यालय : जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल (PMKSY-PDMC)

योजना अंतर्गत किसानों के खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (टपक और फव्वारा) का अधिष्ठापन

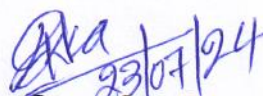
लघु एवं सीमांत किसान (कृषि योग्य कुल भूमि 02 हे० या 05 एकड़ तक) को कुल लागत का 90% अनुदान एवं अन्य किसान को 80% अनुदान देय होगा

PDMC योजना का लाभ लेने हेतु http://www.jharkhandpdmc.com पर आवेदन स्वयं या नजदीकी प्रज्ञा केंद्र (CSC) से कर सकते हैं	
योजना में शामिल होने की अहर्ता	आवश्यक दस्तावेज
a) कृषक का स्वयं का पम्पसेट हो b) योजना का लाभ लेने हेतु न्यूनतम कृषि योग्य भूमि रकबा (एकल भूखंड के रूप में) 0.20 हे० या 0.5 एकड़ से कम न हो c) स्थायी जलस्रोत (बोरिंग/कुआँ/तालाब/नदी/झरना/नहर आदि) खेत से न्यूनतम दूरी पर हो d) किसान के पास आधार कार्ड और Active Mobile Number अवश्य हो e) जमीन संबंधी दस्तावेज (जमीन का रसीद/भू स्वामित्व प्रमाण पत्र) अवश्य हो f) पूर्व के वर्षों में कृषक द्वारा इस योजना का लाभ नहीं लिया गया हो g) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला कृषक को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी h) नमामि गंगे योजना से आच्छादित पंचायतों को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन कृषि भूमि डूब क्षेत्र में न हो	i) आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ हो ii) पंचायती राज से अनुशंसा किया गया हो (वार्ड सदस्य/ उप मुखिया/ मुखिया/ पंचायत समिति सदस्य/ जिला परिषद् सदस्य आदि द्वारा) iii) शपथ पत्र में वंशावली आदि पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं मुखिया द्वारा सत्यापित हो iv) जमीनी सत्यापन (Field Verification) किया गया हो (BAO/ BTM/ ATM/ कृषक मित्र आदि द्वारा) v) कृषक का स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड की प्रति vi) कृषक का स्वअभिप्रमाणित जमीन संबंधित दस्तावेज की प्रति vii) कृषक का दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो

क्र०.	वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य	
			रकबा (हे० में)	कृषकों की संख्या
1	2024-25	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – “प्रति बूंद अधिक फसल”	600	1500

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा 90 प्रतिशत तक जल की बचत होती है।

अधिक जानकारी के लिए अपने प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO)/ प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (BTM)/ सहायक तकनीकी प्रबंधक (ATM)/ जनसेवक/ जिला कृषि कार्यालय, साहेबगंज से सम्पर्क कर सकते हैं।


23/01/24
जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज।

कार्यालय : जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज

FPO के लिए आवश्यक सूचना

साहेबगंज जिला अन्तर्गत कार्यरत सभी FPOs को सूचित किया जाता है कि जिले में FPOs को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता अनुदान योजना चलाई गई है। इस योजना में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है

➤ योजना का उद्देश्य :-

- झारखण्ड राज्य में अच्छा प्रदर्शन करने वाले FPOs को एकमुश्त मैचिंग इक्विटी अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- अच्छा प्रदर्शन करने वाले FPOs को अगले 04 वर्षों तक प्रदर्शन आधारित वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।
- FPOs की व्यवहार्यता और स्थिरता को बढ़ाना।
- FPOs की व्यावसायिक गतिविधियों और Net Worthiness को बढ़ाना एवं सुधारना।
- FPOs को कलस्टर आधारित दृष्टिकोण से उद्यम के रूप में एक जिला एक उत्पाद पर अग्रणी बनने की सुविधा प्रदान करना।
- अच्छे क्षेत्र में नए FPOs की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना।

➤ योजना की मुख्य विशेषताएँ :-

- योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
- राज्य में पंजीकृत FPOs को अधिकतम 15 लाख रुपये तक का एकमुश्त मैचिंग इक्विटी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- FPOs को कारोबार में वृद्धि या लाभ के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- FPOs को जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण, झारखण्ड की उपज की ब्रांडिंग के लिए कई अन्य वित्तीय सहायता और पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
- FPOs राज्य स्तर पर समर्पित सुविधा सेल के माध्यम से व्यवसाय के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा।
- FPOs को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आसान मूल्यांकन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- जिला स्तर पर FPOs की गतिविधियों की नियमित और सख्त समीक्षा और विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से समर्थन।

➤ प्रस्तावित योजना की पात्रता मानदंड :-

- ✓ FPO को या तो कंपनी (संशोधित) अधिनियम, 2020 के अध्याय XXI A के भाग-1 के तहत या झारखण्ड राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत शामिल/पंजीकृत किया जाना चाहिए तथा उत्पादन और विपणन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से सामूहिक लाभ उठाने के उद्देश्य से गठित किया जाना चाहिए (कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र)।
- ✓ FPO में न्यूनतम 100 शेयरधारक किसानों की सदस्यता होनी चाहिए और न्यूनतम इक्विटी शेयरधारिता 2 लाख रुपये होनी चाहिए।
- ✓ FPO के पास शेयरधारकों से प्राप्त इक्विटी या वितरित शेयरों का प्रमाण होना चाहिए।
- ✓ FPO का पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम टर्नओवर 10 लाख रुपये और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम टर्नओवर 3 लाख रुपये होना चाहिए।
- ✓ FPO के पास पिछले तीन वर्षों की चार्टर्ड खातों की ऑडिटेड बैलेंस शीट होना चाहिए।
- ✓ FPO के पास PAN/TAN/GST पंजीकरण होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों का Filed ITR होना चाहिए।
- ✓ FPO में कम्पनी की भूमिका में कम से कम 5 पदाधिकारी होना चाहिए।
- ✓ FPO के पास सक्रिय चालू खाता होना चाहिए।
- ✓ FPO को झारखण्ड सरकार के साथ MOU करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

किसान कम्पनी बनायें एवं पाएँ नकद इनाम

विशेष जानकारी हेतु जिला कृषि कार्यालय, साहेबगंज से सम्पर्क किया जा सकता है।

23/07/24
जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज

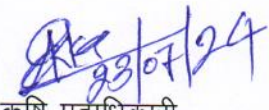
कार्यालय : जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) योजना

कृषि क्षेत्र में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना द्वारा किसानों के खेत की मिट्टी के नमूनों की जाँच मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं में की जाती है। मिट्टी जाँच कर उसमें उपलब्ध आवश्यक पोषक तत्वों का पता लगाया जाता है। पोषक तत्वों की जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित कर किसानों को कृषि हेतु आवश्यक सलाह के साथ समर्पित की जाती है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा संबंधित पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए खेत में उचित उर्वरकों के इस्तेमाल संबंधित सिफारिशें दी जाती हैं। इससे किसान अपने फसल में उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। जिससे एक तरफ उर्वरक में होने वाले अनावश्यक खर्च में कटौती होती है एवं दूसरी ओर मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना अन्तर्गत साहेबगंज जिले का कुल लक्ष्य 8282 मृदा नमूना संग्रह है। मृदा नमूना का संग्रहण करने वाले निबंधित कृषक मित्र/साथी को प्रति नमूना 50 रु० प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। किसानों से अनुरोध है कि अपने खेत की मिट्टी का जाँच कम-से-कम तीन वर्ष में एक बार अवश्य करायें और यदि सम्भव हो तो प्रति वर्ष मिट्टी की जाँच कराकर ही खेती करें, ताकि उनके कृषि उपज में बढ़ोत्तरी हो सके। मिट्टी नमूना का जाँच साहेबगंज स्थित मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में निःशुल्क की जाती है।

योजना संबंधित विस्तृत जानकारी एवं लाभ लेने के लिए जिला कृषि कार्यालय/मिट्टी जाँच प्रयोगशाला एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों/BTM/ATM/जनसेवक जिला साहेबगंज से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

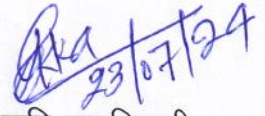

जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज

कार्यालय : जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

साहेबगंज जिला में खरीफ मौसम 2024-25 अन्तर्गत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की गतिविधियों को सम्पन्न करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए "घर घर KCC अभियान" के तहत सामान्य किसानों तथा PM-KISAN के लाभुक किसानों को अधिकाधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से आच्छादित किया जा रहा है। समय पर कृषि ऋण जमा करने वाले किसानों को भारत सरकार ब्याज में 3 % एवं राज्य सरकार 4 % ब्याज में छूट दे रही है, अर्थात् ससमय ऋण जमा करने वाले किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर के0सी0सी0 लोन उपलब्ध कराया जा रहा है।

अतः साहेबगंज जिला के इच्छुक सभी किसान भाई-बहनों से अनुरोध है कि आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, जमीन संबंधी दस्तावेज (अद्यतन रसीद/भू-धारिता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति), त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि द्वारा सत्यापित वंशावली तथा पासपोर्ट आकार का दो नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ आदि के साथ अपना आवेदन अपने प्रखण्डों के जनसेवक (VLW), सहायक तकनीकी प्रबंधक (ATM), प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक (BTM), प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (BAO) तथा कृषक मित्र से सम्पर्क कर सकते हैं।


23/07/24
जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज।

कार्यालय : जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज

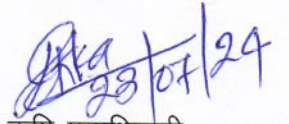
“झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना” (JKRMY)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वैसे सभी मानक ऋणी कृषक जिन्होंने 31 मार्च, 2020 से पूर्व KCC ऋण लिया हो उन्हें “झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना” (JKRMY) अन्तर्गत लाभ लेने हेतु अपने निकटतम प्रज्ञा केन्द्र (CSC) में e-KYC कराना अनिवार्य है, ताकि ससमय ऋण माफी हो सके। इस योजना अन्तर्गत ऋण माफी का लाभ लेने हेतु कृषक निम्न आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम प्रज्ञा केन्द्रों में जाकर ऋण माफी हेतु e-KYC कराना सुनिश्चित करेंगे :-

- (i) आधार कार्ड
- (ii) राशन कार्ड
- (iii) K.C.C बैंक खाता पासबुक तथा
- (iv) मोबाईल नम्बर

सभी कृषक www.jkrmy.jharkhand.gov.in पर अपने लोन से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की जानकारी एवं सहायता हेतु टोल फ्री नम्बर-**1800-123-1136** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृषक मित्र, जनसेवक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज से सम्पर्क कर सकते हैं।


जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज

कार्यालय : जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज

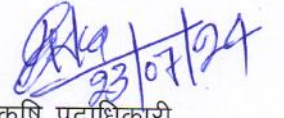
“प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना” (PM-KISAN)

साहेबगंज जिला के सभी किसान भाई-बहनों को सूचित किया जाता है कि “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना” (PM-KISAN) अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 6,000/- रू० (वार्षिक) प्रति किसान प्रति वर्ष कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के कार्य में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने हेतु निम्न प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है –

प्रक्रिया	संबंधित दस्तावेज	सेवा केन्द्र
(i) ई-केवाईसी (e-KYC)	1. आधार कार्ड 2. मोबाईल नंबर	प्रज्ञा केन्द्र
(ii) आधार सीडिंग एवं DBT Enable	1. आधार कार्ड 2. बैंक पासबुक 3. मोबाईल नंबर	संबंधित बैंक
(iii) लैंड सीडिंग	1. आधार कार्ड 2. जमीन का रसीद/भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC)/वंशावली 3. मोबाईल नंबर	संबंधित अंचल कार्यालय

इस योजना की जानकारी एवं सहायता हेतु टोल फ्री नम्बर 1800-180-1551 एवं 011-2430-0606 पर अपने पंजीकृत मोबाईल नम्बर से सम्पर्क कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृषक मित्र, जनसेवक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज से सम्पर्क कर सकते हैं।


जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज